।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

:: दिनांक 24.03.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 24.03.2026 को महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

1. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री एल.आर. मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री सत्यपाल जांगिड़, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 52 एवं पूर्व में अग्रेषित 05 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन 57 प्राप्त प्रकरणों का समिति स्तर से परीक्षण किया जाकर गुण-अवगुण के आधार पर इन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम-4 (ख)(ग) के तहत निम्नाकिंत बंदियों को पात्र पाये जाने पर समिति द्वारा इन बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

(अ) सामान्य स्वीकृत प्रकरण

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	रामलाल पुत्र किशोरीलाल	के.का.बीकानेर	-
2.	प्रहलाद मीणा पुत्र राजू मीणा	के.का.अलवर	जुर्माना राशि जमा करने की शर्त पर
3.	बलवीर सिंह उर्फ टिप्पणा पुत्र ज्ञानसिंह	के.का.बीकानेर	-

4.	सोनू पुत्र मूलचन्द	के.का.भरतपुर	अंतर्गत धारा 224, आई.पी.सी. की जुर्माना राशि जमा कराने की शर्त पर
5.	बबलू अजमेरी उर्फ ईमामुदीन पुत्र सुआलाल टेलर	के.का.जोधपुर	–
6.	अजय कुमार उर्फ श्योदान पुत्र हरीसिंह	के.का.बीकानेर	–
7.	कानजी मीणा पुत्र कालूजी मीणा	के.का.जोधपुर	–
8.	सुरेश कुमार पुत्र गोपालराम	के.का.बीकानेर	–
9.	रमेश पुत्र नाथू भगोरा	के.का.अलवर	प्रकरण संख्या 122/2016 में भुगती गई 03 वर्ष की साधारण कारावास की सजा की जुर्माना राशि जमा कराने की शर्त पर
10.	जसंवत सिंह पुत्र रामसिंह	के.का.अजमेर	–
11.	प्रेम पुत्र मेवा	के.का.अजमेर	–
12.	नितिन कुमार पुत्र राजकुमार	वि.के.का.श्यालावास	–
13.	रूपाराम पुत्र बालासहाय	के.का.बीकानेर	–
14.	परमानंद पुत्र श्रीलाल धाकड	के.का.कोटा	–
15.	रोहिताश उर्फ तीती पुत्र बालमुकुन्द	के.का.अलवर	–
16.	ताराचन्द पुत्र हमेरा गमेती	के.का.उदयपुर	–

(ब) ऐसे बंदी जिनकी आयु 25 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक, अविवाहित होने एवं अन्य राज्य के है, वे राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम-3 (क)(ज)(ड़) के तहत Ordinarily (साधारणतया) खुले शिविर में भेजे जाने के पात्र नहीं होगें, का प्रावधान है। परन्तु इस प्रकार के प्रकरणों में पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में बंदियों द्वारा दायर एस.बी./ डी.बी. रिट पिटिशन संख्या 1180/2010 काशीराम निर्णय दिनांक 04.05.2010, 8587/2011 गीता देवी निर्णय दिनांक 20.10.2011, 19884/2012 सोनू उर्फ रघुवेन्द्र निर्णय दिनांक 16.01.2013, 2501/2013 राणा उर्फ बिट्टू उर्फ रवि निर्णय दिनांक 08.04.2013, 2883/2013 दिनांक 27.02.2013 एवं 2167/2024 हंसराज पुत्र कल्याण, घनश्याम पुत्र हंसराज निर्णय दिनांक 17.01.2025 में दिये गये आदेशों की पालना में इन दण्डित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाला हुआ है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों के क्रम में एक प्रकार के प्रकरण में एकरूपता बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा निम्नांकित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	प्रियांशु मिश्रा उर्फ बाबू पुत्र ओमप्रकाश	के.का.कोटा	–
2.	गौरव कुमार उर्फ सत्तो पुत्र रामस्वरूप	के.का.भरतपुर	परिजनों द्वारा बंदी के भरण- पोषण व देखभाल का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
3.	अमनदीप उर्फ गोलू उर्फ धोलू पुत्र राजेन्द्र उर्फ राजु	के.का.बीकानेर	–
4.	पिर्केश मेहता पुत्र अमृतलाल मेहता	के.का.अलवर	–
5.	अनिल कुमार उर्फ भिर्रिया पुत्र रमेश कुमार	वि.के.का. श्यालावास	–
6.	विजय कुमार पुत्र बाबुलाल	के.का.बीकानेर	–
7.	शिल्पा विरमानी पुत्री श्रीमती कान्ता विरमानी	म.ब.सु.जयपुर	–
8.	अजय चौधरी पुत्र रामकुमार	उ.सु.का.अजमेर	अंतर्गत धारा 332 आई.पी.सी. की जुर्माना राशि जमा कराने की शर्त पर

2. **अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण:-**

(अ)प्रतिबंधित धारा 376/377/पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दण्डित होने से:-

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(घ) के प्रावधानों के अंतर्गत साधारणतया व नियम 4(क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया:-

क्र.सं.	बंदी नाम	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	जयपाल पुत्र महेन्द्र सिंह	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376ए भादसं एवं 5/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (जो 35 वर्ष से कम नहीं होगी) से दण्डित।
2.	बालचन्द पुत्र दौलतराम	जि.का.टोंक	धारा 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट में 25 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
3.	लखन पुत्र चतरालाल माली	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376(2)(जी) भादसं में आजीवन कारावास से दण्डित होने के कारण एवं दिनांक 13.09.2018 को प्रथम नियमित पैरोल से फरारी होने पर एवं बंदी 01 अन्य प्रकरण में वांछित है।

4.	रवि योगी पुत्र कैलाश चन्द	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376(2)(आई) भादसं में आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल तक से दण्डित।
5.	किशनलाल पुत्र रूघाराम	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376एबी भादसं के विकल्प धारा 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट एवं 376(2)(एफ)(एन) भादसं के विकल्प धारा 5(एल)(एन) पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
6.	नरसिंह उर्फ नरसी पुत्र मुकुन्दी	के.का.अलवर	धारा 6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
7.	सज्जन उर्फ देबूसिंह पुत्र गुलाबसिंह	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376(3) भादसं व 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
8.	कालू पुत्र प्रभात	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 3/4 पोक्सो एक्ट विकल्प में धारा 376(3)भादसं में आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल तक से दण्डित।
9.	राजु पुत्र नंदा	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376डी भादसं में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
10.	पवन पुत्र छीतरलाल नागर	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 3/4 पोक्सो एक्ट सपठित धारा 376 भादसं में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
11.	मुरली मालाकर पुत्र रामेश्वरलाल	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 377 भादसं व 3/4(2)पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल से दण्डित।
12.	बबलु पुत्र रामजी लाल	के.का.अजमेर	धारा 5/6 पोक्सों एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
13.	राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र किशोर उर्फ रामकिशोर	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 भादसं में 10 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित।
14.	विशाल उर्फ फब्बल पुत्र मुकेश	के.का.अलवर	धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
15.	तेजाराम पुत्र बाबुराम	के.का.जोधपुर	धारा 9(जी)/10 पोक्सो एक्ट में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं बंदी 02 अन्य प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में है
16.	हेमराज पुत्र लादूलाल	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 भादसं में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

4.	रवि योगी पुत्र कैलाश चन्द	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376(2)(आई) भादसं में आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल तक से दण्डित।
5.	किशनलाल पुत्र रूघाराम	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376एबी भादसं के विकल्प धारा 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट एवं 376(2)(एफ)(एन) भादसं के विकल्प धारा 5(एल)(एन) पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
6.	नरसिंह उर्फ नरसी पुत्र मुकुन्दी	के.का.अलवर	धारा 6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
7.	सज्जन उर्फ देबूसिंह पुत्र गुलाबसिंह	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376(3) भादसं व 5(एल)/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
8.	कालू पुत्र प्रभात	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 3/4 पोक्सो एक्ट विकल्प में धारा 376(3)भादसं में आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल तक से दण्डित।
9.	राजु पुत्र नंदा	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376डी भादसं में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
10.	पवन पुत्र छीतरलाल नागर	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 3/4 पोक्सो एक्ट सपठित धारा 376 भादसं में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
11.	मुरली मालाकर पुत्र रामेश्वरलाल	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 377 भादसं व 3/4(2)पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल से दण्डित।
12.	बबलु पुत्र रामजी लाल	के.का.अजमेर	धारा 5/6 पोक्सों एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
13.	राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र किशोर उर्फ रामकिशोर	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376 भादसं में 10 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित।
14.	विशाल उर्फ फब्बल पुत्र मुकेश	के.का.अलवर	धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
15.	तेजाराम पुत्र बाबुराम	के.का.जोधपुर	धारा 9(जी)/10 पोक्सो एक्ट में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं बंदी 02 अन्य प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में है
16.	हेमराज पुत्र लादूलाल	के.का.अजमेर	प्रतिबंधित धारा 376 भादसं में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

(ब) राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(ग)(घ)(च)(छ) के प्रावधानों के अंतर्गत जो अन्य प्रतिबंधित धारा, जेल दण्ड/फरारी/कदाचार(02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं), 02 से अधिक प्रकरणों में दण्डित, अन्य विचाराधीन प्रकरण (जमानत नहीं) एवं एन.डी.पी.एस. एक्ट में दण्डित होने आदि कारणों से प्रकरणों पर विचार कर साधारणतया व नियम 4(क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से तथा एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया:-

क्र. सं.	बंदी का नाम वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	गणेश पुत्र छन्नीलाल	के.का.कोटा	बंदी दिनांक 11.06.2016 को बं.खु. शि. सांगानेर से फरार एवं दिनांक 18.01.2022 को बं.खु.शि.कोटा से फरार होने के कारण।
2.	राजेश पुत्र सुभाष	वि.के.का. श्यालावास	बंदी दिनांक 11.07.2011 से 27.12.2024 तक (13 वर्ष 05 माह 15 दिवस तक) फरार होने एवं प्रतिबंधित धारा 394/34 आई.पी.सी. की जुर्माना राशि शेष होने व 01 अन्य प्रकरण में वांछित होने के कारण।
3.	परमजीत उर्फ पम्मा पुत्र अजायब सिंह	वि.के.का. श्यालावास	बंदी दिनांक 02.03.2025 को खु.बं. शि. हनुमानगढ़ से सांयकाल गिनती से फरार, जो दिनांक 04.03.2025 को जिला कारागृह हनुमानगढ़ जेल दाखिल किया तथा बंदी 03 अन्य प्रकरणों में दण्डित होने के कारण।
4.	प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश पुत्र सरदार	वि.के.का. श्यालावास	बं.खु.शि. कोटा से दिनांक 06.05.2025 को 26.07.2025 तक फरारशुदा। बंदी 02 अन्य प्रकरणों में वांछित। (जेसी वारण्ट)
5.	जयकरण उर्फ जयराम पुत्र मालाराम	के.का.बीकानेर	खु.बं.शि.बीछवाल से दिनांक 17.11.2025 से 18.11.2025 तक फरार होने के कारण।
6.	रामेश्वर उर्फ छोटू पुत्र मानसिहं भील	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 397 भादसं में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
7.	भंवरलाल पुत्र किशन	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
8.	योगेन्द्र कुमार पुत्र नरेश प्रसाद	के.का.जोधपुर	8/18(ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट में 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

9.	अविनाश पुत्र राजदेव प्रसाद	के.का.जोधपुर	8/18(ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट में 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
10.	गोविन्द पुत्र चेतराम	के.का.अलवर	8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। दिनांक 02.02.2025 कदाचार करने पर 15 दिवस के लिए एसडीटी/ कैन्टीन सुविधा से वंचित किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।
11.	सुरेश कुमार पुत्र जिले सिंह	के.का.बीकानेर	8/22 एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
12.	अमराराम पुत्र पेमाराम	के.का.उदयपुर	मानसिक रोग से ग्रसित होने एवं परिजनों द्वारा भरण-पोषण किये जाने से इंकार करने के कारण

3. अग्रेषित प्रकरण का विवरण:-

क्र.सं.	बंदी का नाम वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	अजीज खां उर्फ लालू खां पुत्र अली खां	वि.के.का. श्यालावास	बंदी द्वारा जुर्माना राशि जमा कराये जाने की सूचना एवं प्रकरण में धारा 42 कारागार अधिनियम में जमानत की रिपोर्ट अधीक्षक, वि. के.का.श्यालावास से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।
2.	सुरेश कुमार उर्फ पकोडिया पुत्र जगमाल	के.का.जोधपुर	बंदी 01 अन्य प्रकरण में वांछित है, की धारा की रिपोर्ट की रिपोर्ट अधीक्षक के.का.जोधपुर से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।
3.	गिरिश उर्फ गोपाल पुत्र हंसराज	के.का.कोटा	अधीक्षक, के.का.कोटा की रिपोर्ट में बंदी मानसिक रोग से ग्रसित है। अत: बंदी के स्वस्थ एवं दैनिक कार्य कर सकता है, अथवा नहीं हेतु चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

4.	हाशिम उर्फ अब्दुल हासिफ पुत्र सिराज खान	के.कारा. भरतपुर	अधीक्षक, के.का.भरतपुर की रिपोर्ट में बंदी मानसिक रोग से ग्रसित है। बंदी के परिजनों द्वारा बंदी के भरण-पोषण व देखभाल का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

4. अन्य स्वीकृत प्रकरण का विवरणः-

क्र.सं.	बंदी का नाम वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	सुरेश पुत्र गंगाराम	के.का.अलवर	गृह विभाग के द्वारा बंदी का स्थाई पैरोल स्वीकृत किये जाने से बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की आवश्यकता नही है।

(अशोक राठौड़)	(विक्रम सिंह)	(एल.आर.मीणा)	(सत्यपाल जांगिड़)	(जगमोहन मित्रुका)
अध्यक्ष	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**
महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 24.03.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 24.03.2026 को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री एल.आर. मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री सत्यपाल जांगिड़, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में 07 बंदियों के प्रकरण बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
चौथमल उर्फ सुनिल पुत्र नर्मदा शंकर नागदा	के.का.उदयपुर	298/2026	07.03.2026	09.03.2026
कांतिलाल पुत्र रामाराम	के.का.जोधपुर	928/2026	13.03.2026	17.03.2026
विजयराज उर्फ बिजाराम पुत्र बगदुराम	के.का.जोधपुर	927/2026	13.03.2026	17.03.2026
निर्मल दुदानी पुत्र प्रकाश दुदानी	के.का.उदयपुर	305/2026	07.03.2026	17.03.2026
कपिल बुडानिया पुत्र अशोक कुमार	के.का.श्रीगंगानगर	616/2026	12.03.2026	17.03.2026
शंकरसिंह पुत्र धनसिंह	के.का.जोधपुर	396/2026	12.03.2026	18.03.2026

दातार सिंह पुत्र माल सिंह	के.का.बीकानेर	169/2026	29.01.2026	18.03.2026

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी चौथमल उर्फ सुनिल पुत्र नर्मदा शंकर नागदा, के.का.उदयपुर:-

बंदी को श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट 02 चितौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 22/2018 अंतर्गत धारा 8/18,8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दिनांक 28.02.2025 को 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 07.10.2025 में विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी का प्रकरण एन.डी.पी.एस. एक्ट में दण्डित होने के कारण अस्वीकृत किया गया था।

बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 298/2026 चौथमल बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट में आदेश दिनांक 07.03.2026 पारित किया है कि "Accordingly, the present writ petition is allowed. The decision taken by the competent committee in its meeting dated 07.10.2025, in so far as it relates to the petitioner, rejecting his case for transfer to an Open Air Camp, is hereby set aside. The respondents are directed to reconsider the case of the petitioner for admission to an Open Air Camp strictly in accordance with the provisions of the Rajasthan Prisoners Open Air Camp Rules, 1972 and without treating the conviction under the NDPS Act as an automatic dis qualification and while doing so, the respondent authorities shall take into account the order of seniority of eligible prisoners, as contemplated under the Rules governing such transfer. The aforesaid exercise shall be undertaken and appropriate orders shall be passed by the competent authority within a period of one month from the date of receipt of a certified copy of this order."

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2026 की पालना में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 12.03.2026 की स्थिति में 07 वर्ष 08 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

अत: माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 07.03.2026 की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी चौथमल उर्फ सुनिल पुत्र नर्मदा शंकर नागदा** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. दण्डित बंदी कांतिलाल पुत्र रामाराम, केन्द्रीय कारागृह जोधपुर:-

बंदी को स्पेशल पोक्सो कोर्ट सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 41/2018 अंतर्गत धारा 366 आई.पी.सी. 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में दिनांक 31.07.2020

को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 19.03.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी के 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित होने से बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 928/2026 कांतिलाल बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 13.03.2026 पारित किया है कि ''In the result, the instant criminal writ petition (parole) is allowed. The impugned minutes of the meeting dated 19.03.2025 are set aside qua the present petitioner and the case of the petitioner for sending him to the Open Air Camp is remitted back to the Committee for re-consideration and decision, if the petitioner makes out any special circumstances for deviating from the general ineligibility criteria contemplated under Rule 3(d) of the Rules of 1972.The said exercise shall be done within a period of one month from the date of submission of a certified copy of this order. With the aforesaid observations and directions, the writ petition is disposed of accordingly.''

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2026 की पालना में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 17.03.2026 की स्थिति में 09 वर्ष 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2026 की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी कांतिलाल पुत्र रामाराम** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

3. दण्डित बंदी विजयराज उर्फ बिजाराम पुत्र बगदुराम, केन्द्रीय कारागृह जोधपुरः-

बंदी को विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 संख्या 03 पाली द्वारा प्रकरण संख्या 10/2019 अंतर्गत धारा 363,366ए,376डीए,506 आई.पी.सी. में दिनांक 27.01.2021 को आजीवन कठोर कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 19.03.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी के प्रतिबंधित धारा 376डीए में आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) से दण्डित होने से बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 927/2026 विजयराज बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 13.03.2026 पारित किया है कि ' Therefore, we are inclined to allow the present

criminal writ petition (parole) by setting aside the impugned minutes of meeting dated 19.03.2025 qua the present petitioner only on the ground that the rejection of the petitioner's case was made on the basis that his case fell under Rule 3(d) of the Rules of 1972 which does not create an absolute bar for consideration of the petitioner's case for admission to the open air camp as per the decision of this Court in the case of Sandeep (supra).In the result, the instant criminal writ petition (parole) is allowed. The impugned minutes of the meeting dated 19.03.2025 are set aside qua the present petitioner and the case of the petitioner for sending him to the Open Air Camp is remitted back to the Committee for re-consideration and decision, if the petitioner makes out any special circumstances for deviating from the general ineligibility criteria contemplated under Rule 3(d) of the Rules of 1972.The said exercise shall be done within a period of one month from the date of submission of a certified copy of this order.With the aforesaid observations and directions, the writ petition is disposed of accordingly."

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2026 की पालना में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 17.03.2026 की स्थिति में 08 वर्ष 04 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

अत: माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2026 की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी विजयराज उर्फ बिजाराम पुत्र बगदुराम** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

4. दण्डित बंदी कपिल बुडानिया पुत्र अशोक कुमार, केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर:-

बंदी को अपर सेशन न्यायाधीश सरदार शहर चूरू द्वारा प्रकरण संख्या 01/2021 अंतर्गत धारा 147,148,323/149,460/149,302/149 आई.पी.सी. में दिनांक 23.05.2023 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 30.12.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी के प्रतिबंधित धारा 460/149 आई.पी.सी में आजीवन कारावास से दण्डित होने से बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 616/2026 कपिल बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 12.03.2026 पारित किया है कि "Accordingly, the present writ petition is allowed. The decision taken in the meeting dated 30.12.2025 of the State Level Prison Open Air Camp Advisory Committee, Jaipur, rejecting the petitioner's application for transfer to Open Air Camp is quashed and set aside. The respondents are directed to reconsider the case of the petitioner for transfer to an appropriate Open Air

Camp inaccordance with the provisions of the Rajasthan Prisoners Open Air Camp Rules, 1972 and the law laid down by this Court, within a period of one month from the date of receipt of a certified copy of this order. It is made clear that in the event the petitioner is transferred to the Open Air Camp, his continuation there shall remain subject to maintenance of good conduct and discipline, and the authorities shall be at liberty to take appropriate action in accordance with law in case of any violation."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2026 की पालना में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 17.03.2026 की स्थिति में 07 वर्ष 05 माह 19 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2026 की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी कपिल बुडानिया पुत्र अशोक कुमार** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

5. दण्डित बंदी शंकर सिंह पुत्र धनसिंह, केन्द्रीय कारागृह जोधपुरः-

बंदी को सेशन न्यायालय बालोतरा द्वारा प्रकरण संख्या 31/1992 अंतर्गत धारा 148,302,366,376,459,323/149,324/149,325/149 आई.पी.सी. में दिनांक 23.10.2024 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 19.03.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी के प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी में आजीवन कारावास से दण्डित होने से बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 396/2026 शंकर बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 12.03.2026 पारित किया है कि "Accordingly, the writ petition is accordingly allowed and it is ordered that the order dated 19.03.2025 is hereby quashed and set aside. The application submitted by the petitioner seeking transfer to an Open Air Camp stands allowed. The competent authorities are directed to take appropriate steps for placing the petitioner in an Open Air Camp in accordance with the applicable rules and administrative formalities."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2026 की पालना में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 18.03.2026 की स्थिति में 10 वर्ष 02 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2026 की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम,

1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी शंकर सिंह पुत्र धनसिंह** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी दातार सिंह पुत्र माल सिंह, केन्द्रीय कारागृह बीकानेर:-

बंदी को अपर सेशन न्यायालय डीडवाना, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 22/2006 अंतर्गत धारा 302/149,307/149,450,148 आई.पी.सी. 3/25,7/25 आर्म्स एक्ट में दिनांक 05.03.2018 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 09.09.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी खुला शिविर से दिनांक 06.05.2025 से 07.05.2025 तक फरार रहने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 169/2026 दातार बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 29.01.2026 पारित किया है कि "The learned counsel prays that respondent-State may be directed to decide the case of the petitioner in view of the recommendation dated 08.05.2025 at the earliest. Learned AAG submits that the matter of the petitioner shall be decided expeditiously in accordance with law.In view of the submission made before us, the present writ petition is dismissed with the direction to the State Government to decide the case of the petitioner in pursuance of the recommendation dated 08.05.2025, at the earliest, preferably within a period of four weeks from the date of receipt of the certified copy of the order, strictly in accordance with law."

अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर से प्राप्त टिप्पणी अनुसार बंदी दिनांक 06.05.2025 को सांयकाल गिनती के दौरान अनुपस्थित रहा था, जिसके संबंध में पुलिस कन्ट्रोल रूम से जरिये दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुआ कि दण्डित बंदी दातार सिंह पुत्र माल सिंह को पुलिस थाना विद्याधर नगर जयपुर उत्तर धारा 126,170 बी.एन.एस. में गिरफ्तार किये जाने पर बंदी को दिनांक 07.05.2025 को जेल दाखिल किया जाना बताया है एवं राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के तहत अपात्र बताया है।

अत: माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी दातार सिंह पुत्र माल सिंह** को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

अग्रेषित प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी निर्मल दुदानी पुत्र प्रकाश दुदानी, केन्द्रीय कारागृह उदयपुर :-

बंदी को विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट) अपर सेशन सेशन न्यायाधीश 01 उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 192/2017 अंतर्गत धारा 22सी,29

एन.डी.पी.एस.एक्ट में दिनांक 26.05.2025 को 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 07.10.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी को धारा 22सी,29 एन.डी.पी.एस.एक्ट में दिनांक 26.05.2025 को 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित होने के कारण बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस. बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 305/2026 निर्मल बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 07.03.2026 पारित किया है कि " The authority empowered to consider applications for transfer to Open Air Camps is required to undertake a conscientious evaluation of several relevant factors, including the prisoner's conduct within the prison precincts, the nature of the offence, the eligibility parameters prescribed under the governing rules and the broader objectives of the Open Air Camp scheme, which is fundamentally rehabilitative in character. The decision-making process must therefore reflect a judicious balance between institutional discipline and the reformative philosophy underlying the penal system. Consequently, the present Criminal Writ Petition stands disposed of. The impugned order dated 07.10.2025 passed by the State Level Open Air Camp Committee, in so far as it relates to the petitioner, is quashed and set aside. The respondents are directed to reconsider the petitioner's application for transfer to an Open Air Camp afresh, strictly in accordance with the provisions of the Rajasthan Prisoners Open Air Camp Rules, 1972, and to pass a detailed , reasoned and speaking order after due application of mind. The aforesaid exercise shall be completed within a period of three months from the date of receipt of a certified copy of this order."

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2026 की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी निर्मल दुदानी पुत्र प्रकाश दुदानी** की गत 01 वर्ष मठें आचरण की रिपोर्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

(अशोक राठौड़)	(विक्रम सिंह)	(एल.आर.मीणा)	(सत्यपाल जांगिड़)	(जगमोहन मित्रुका)
अध्यक्ष	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**
महानिदेशक कारागार, राजस्थान जयपुर	महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर	उप विधि परामर्शी महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

:: दिनांक 24.03.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 24.03.2026 को महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

1. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. श्री एल.आर. मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री सत्यपाल जांगिड़, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदी जिन्हें खुला बंदी शिविर में रहते हुए इनके द्वारा कदाचार किये जाने के कारण इन्हें जेल दाखिल कर दिया गया अथवा खुला बंदी शिविर से फरारी उपरान्त पुलिस द्वारा पुनः गिरफ्तार कर जेल दाखिल करवाया गया, के प्राप्त 12 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन 12 प्रकरणों का समिति स्तर से परीक्षण किया जाकर गुण-अवगुण के आधार पर इन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

निम्नांकित दण्डित बंदियों के खुला बंदी शिविर में निरूद्धीकरण के दौरान कदाचार किये जाने एवं खुला बंदी शिविर से फरार होने पर इनके द्वारा राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों का उल्लघंन करने पर इनका खुला बंदी शिविर आंवटन निरस्त कर इन्हें सजा भुगताने हेतु मूल कारागृह पर भिजवाये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुशंषा की जाती है, जिसका विवरण निम्न से है :-

क्र. सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	संतोष कुमार पुत्र नंदकिशोर	के.का.कोटा	दिनांक 19.11.2025 को उप महानिरीक्षक कारागार रेंज उदयपुर बं.खु.शि.कोटा का औचक निरीक्षण करने पर इन बंदियों को बं.खु.शि. से तत्समय अनुपस्थित पाये जाने पर, इनके द्वारा राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 का उल्लंघन करने पर इन्हें कदाचार के कारण बं.खु.शि. से कारागृह में जेल दाखिल कर 06 दिवस अर्जित परिहार जब्त किये जाने के जेलदण्ड से दिनांक 20.11.2025 को दण्डित किये के कारण।
2.	राजेन्द्र उर्फ टंटी पुत्र चौथीराम गुर्जर	के.का.कोटा	
3.	जनक सिंह पुत्र धर्म सिंह गुर्जर	के.का.कोटा	
4.	भंवर सिंह पुत्र नाहर सिंह	जि.का.हनुमानगढ़	दिनांक 29.01.2026 को शराब का सेवन कर बं.खु.शि.अनाथ एवं अपाहिज समिति गोलूवाला, हनुमानगढ़ में गाली गलोच करने पर मेडिकल करवाकर इसे बं. खु.शि. से जेल दाखिल किये जाने के कारण।
5.	वागाराम पुत्र हेमाराम	जि.का.हनुमानगढ़	दिनांक 06.02.2026 को शराब का सेवन कर बं.खु.शि. संगरिया, हनुमानगढ़ में गाली गलोच करने पर मेडिकल करवाकर इसे बं. खु.शि. से जेल दाखिल किये जाने के कारण।
6.	रफीक कुरैशी पुत्र मोहम्मद ईशाक	जि.का.टोंक	बं.खु.शि.टोंक से सांयकाल रोलकॉल से दिनांक 26.07.2024 को फरार होने पर पुलिस थाना कोतवाली जिला टोंक में एफ. आई.आर. संख्या 269 दिनांक 27.07.2024 में अंतर्गत धारा 262 बीएनएस दर्ज करवाई गई। दिनांक 19.01.2026 को के.का.जयपुर में जेल दाखिल किये जाने पर।

7.	जयवीर उर्फ वीर उर्फ वीरी उर्फ भण्डारी पुत्र गिर्राज सिंह	के.का.कोटा	माननीय न्यायालय द्वारा अपराध संख्या 136/2012 में जारी हवालाती वारण्ट दिनांक 03.02.2026 की अनुपालना में दिनांक 04.02.2026 को के.का. कोटा में जेल दाखिल किये जाने के कारण।
8.	कमलेश पुत्र कन्हैया लाल	के.का.अलवर हाल के.का.जयपुर	बं.खु.शि.अलवर से दिनांक 07.04.2025 को सांयकाल रोलकॉल से फरार होने पर पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर में एफ.आई.आर. संख्या 0282/2025 दिनांक 07.04.2025 अंतर्गत धारा 262 बीएनएस दर्ज करवाई गई तथा दिनांक 04.01.2026 को के. का.अलवर में जेल दाखिल किये जाने के कारण।
9.	जैकम उर्फ दिलशान पुत्र रूजदार	जि.का.धौलपुर	बं.खु.शि.धौलपुर से सांयकाल रोलकॉल से दिनांक 13.05.2025 से फरार होने पर पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर में एफ.आई. आर. संख्या 275/2025 दिनांक 13.05.2025 अंतर्गत धारा 262 बीएनएस दर्ज करवाई गई, दिनांक 22.02.2026 को जि.का.धौलपुर जेल दाखिल किये जाने के कारण।
10.	सुखलाल पुत्र हरचन्दा	के.का.कोटा	बं.खु.शि.कोटा से दिनांक 08.03.2026 को सांयकाल रोलकॉल से फरार होने पर पुलिस थाना नयापुरा कोटा में एफ.आई. आर. संख्या 081/2026 दिनांक 08.03.2026 अंतर्गत धारा 262 बीएनएस में दर्ज करवाई गई, दिनांक 11.03.2026 को के.का.कोटा जेल दाखिल किये जाने के कारण।
11.	रूपसिंह पुत्र लुखरू	के.का.बीकानेर	बं.खु.शि.बीछवाल से दिनांक 07.10.2025 को सांयकाल रोलकॉल से फरार होने पर पुलिस थाना बीछवाल में एफ.

			आई.आर. संख्या 235/2025 दिनांक 07.10.2025 में दर्ज करवाई गई, दिनांक 22.01.2026 को के.का.बीकानेर में जेल दाखिल किये जाने के कारण।

2. **अग्रेषित प्रकरण का विवरण :-**

निम्नांकित दण्डित बंदियों के खुला बंदी शिविर में रहते हुए इनके द्वारा कदाचार किये जाने पर इन्हें कारागृह में जेल दाखिल किये जाने पर इनके प्रकरणों पर समिति द्वारा विचार किये जाने पर पाया गया कि बंदी के विरूद्ध एफ.आई.आर. हुई या नही के संबंध में रिपोर्ट अप्राप्त होने पर समिति द्वारा दण्डित बंदी के प्रकरण में निम्न से आक्षेपों की पूर्ति करवाकर प्रकरण आगामी बैठक में विचारार्थ रखे जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्न से है:-

क्र.सं.	बंदी का नाम वल्दियत	वर्तमान कारागृह	आक्षेप जिसकी पूर्ति की जानी है
1.	सुरेश पुत्र नरसिंह	के.का.जोधपुर	बंदी के कथनानुसार बं.खु.शि.सांगानेर से दिनांक 15.08.2025 को सांयकाल रॉल कॉल से अनुपस्थित होने पर दिनांक 16.08.2025 को धारा 151 आई.पी.सी. में बंदी को रास्ते में गिरफ्तार कर के.का.जयपुर में जेल दाखिल किया गया। प्रकरण में बंदी के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज हुई या नही, बंदी की गिरफ्तारी किन प्रावधानों के तहत हुई है एवं उक्त प्रकरण में जमानत हुई है अथवा नहीं के संबंध में रिपोर्ट सहित तथ्यात्मक टिप्पणी अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

(अशोक राठौड़)	(विक्रम सिंह)	(एल.आर.मीणा)	(सत्यपाल जांगिड़)	(जगमोहन मित्रुका)
अध्यक्ष	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**
महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर